Helpline No.:-(+91)- 9414014475
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज॰) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स:0141-2850551–75

क्रमांकः प.(97)/जरारासंविवि/सा.प्र0/26/

दिनांकः–

रद्दी की खुली–बोली/नीलामी सूचना

विश्वविद्यालय परिसर में रद्दी–परीक्षा हेतु उपयोग में ली गई मुख्य उत्तरपुस्तिकाओं (अनुपयोगी) एवं स्टोर अनुभाग में अनुपयोगी रखी हुई पूरक उत्तरपुस्तिकाओं तथा पुस्तकालय में अखबार, पत्र–पत्रिकाऐं, अनुपयोगी कागज, गत्ते के खाली डिब्बे व अन्य रद्दी से सम्बन्धित सामग्री जिनका अनुमानित वजन लगभग 41 टन है कि खुली बोली दिनांक 28.04.2026 को अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में रखी गई है। पंजीकृत बोली दाताओं को निविदा शुल्क हेतु दिनांक 28.04.2026 प्रात 11.30 बजे तक राशि रूपये 1000/– का (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) (Non-Refundable) बैंक चालान/डी.डी/रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर भाग लेने हेतु अनुमत किया जाएगा। अनुमानित बिड फण्ड 5 लाख (अक्षरे रूपये पांच लाख मात्र) है। बोली की अमानत राशि 2 प्रतिशत 10000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) होगी। शेष समस्त शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी रद्दी की खुली–बोली/नीलामी सूचना में देखी जा सकती है।

कुलसचिव
जरारासंविवि, जयपुर

क्रमांकः प.(97)/जरारासंविवि/सा.प्र0/26/49-56

दिनांकः– 2/5/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कुलगुरु महोदय, जरारासंविवि, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, जरारासंविवि, जयपुर।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा सम्बन्धी रद्दी सामग्री नीलामी हेतु यथा समय उपलब्ध करावें।
5. प्रभारी पुस्तकालय, जरारासंविवि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि रद्दी सामग्री नीलामी हेतु यथा समय उपलब्ध करावें।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।
7. सहायक कुलसचिव, स्टोर अनुभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
8. एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, जरारासंविवि, जयपुर।

कुलसचिव
जरारासंविवि, जयपुर

official order- store (repaired) 2025

Helpline No.:-(+91)- 9414014475

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302028

वेबसाईट- www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स [illegible]

रद्दी की खुली बोली में बोली दाताओं का विवरण

क्र. सं.	फर्म का नाम	पंजीकरण राशि	विवरण			बोलीदाताओं द्वारा बोली की दरें
			डी.डी. नम्बर	चालान संख्या	दिनांक	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Helpline No.:-(+91)- 9414014475
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स:0141-2850551-76

विश्वविद्यालय परिसर में रद्दी हेतु खुली बोली/नीलामी हेतु प्रपत्र

अमानत राशि 10000/– जमा कराने की अंतिम तिथि .... दोपहर .... वजे तक

बोली लगाने का समय व स्थान :– विश्वविद्यालय परिसर (प्रशासनिक भवन)

निविदा विक्रय एवं जमा कराने की अन्तिम तिथि :– ....

निविदा शुल्क :– 1000रु. (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र)

मैं/हम ....

जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के मुख्य परिसर का रद्दी की खुली बोली/नीलामी का ठेका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुबंध की शर्तों के अनुसार लेना चाहता हूँ/चाहते हैं। विवरण निम्न प्रकार है:–

1. आवेदनकर्त्ता/संस्था का नाम ....
   पत्र व्यवहार का पूरा पता (मय ID साक्ष्य) ....
   ....
2. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व नोमिनी फार्म (मय हस्ताक्षर सील) ....
   ....
   टेलिफोन नं. ....
   मोबाईल नं. ....
   फर्म का ई–मेल आई.डी. ....
3. अमानत राशि जमा करवाने का विवरण राशि रू. ....
   चालान सं. .... दिनांक .... राशि ....
   ड्राफ्ट द्वारा– ड्राफ्ट नं. व बैंक का नाम .... दिनांक .... राशि................
   (चालान की प्रति संलग्न करें)
4. रद्दी व्यापार करने हेतु लाइसेन्स संख्या ....
5. आयकर पैन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न) ....
6. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रमाण पत्र :– ....
7. फर्म का बैंक खाता विवरण (चैक की फोटो प्रति संलग्न करें) ....
   बैंक का नाम:– .... खाता संख्या ....
   बैंक आई.एफ.एस.सी कोड़ ....

मैं/हम जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं, विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्र, लिफाफे एवं अनुपयोगी उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी खरीदना चाहता हूँ/चाहते हैं। मैंने/हमने निविदा प्रपत्र में अंकित सभी शर्तें भली–भांति पढ़ जी हैं मैं/हम इन शर्तों से सहमत हैं तथा आदेश मिलने पर उन शर्तो से बाध्य रहूँगा/रहेगें। निविदा में मेरे/हमारे द्वारा जो विवरण अंकित किया गया है वह पूरी तरह सही है। उसमें किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

बोलीदाता फर्म का नाम ....

पता एवं मोबाइल नम्बर ....

....

....

संलग्न:–

1. निविदा शुल्क का चालान ....
2. अमानत राशि का चालान ....
3. हस्ताक्षरित निविदा शर्तें ....
4. जीएसटी पंजीयन/लाइसेन्स की प्रति ....
5. आयकर पैन नम्बर एवं जीएसटी की प्रति ....
6. फर्म के चैक की फोटो प्रति ....
7. आवेदक की आई.डी. ....

Helpline No.:-(+91)- 9414014475
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज॰) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स:0141-2850551–75

रद्दी की खुली बोली/नीलामी हेतु निर्धारित सामान्य सेवा शर्तें

1. नीलामी, विश्वविद्यालय प्रांगण में नीलामी कमेटी के समक्ष आयोजित की जावेगी।
2. रद्दी की बोली सरकारी दर से प्रारम्भ करनी होगी।
3. केवल पंजीकृत (रजिस्ट्रर्ड) निविदाताओं को ही बोली के (Reverse Bidding) प्रतिलोम बोली में भाग लेने हेतु अनुमति दी जावेगी।
4. निविदा की शर्तों में निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त को अपने स्तर पर जोड़ना, हटना अथवा संशोधन का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा कोई शर्त जोड़ी, हटाई अथवा संशोधित की गई तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
5. अधिकतम बोलीदाता की दरें स्वीकृत की जावेगी। यदि विश्वविद्यालय बोली दाताओं की दरों से संतुष्ट नहीं हो तो विश्वविद्यालय को बोली को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. समस्त रद्दी को जहाँ जैसी है उसी स्थिती में चार भागों में टूकड़े कर उठानी होगी।
7. अमानत राशि जमा कराकर कोई भी रजिस्ट्रर्ड फर्म/व्यक्ति नीलामी/खुली बोली में भाग ले सकता है।
8. बिना जीएसटी रजिस्ट्रर्ड फर्म/व्यक्ति तथा बिना अमानत राशि के कोई व्यक्ति/फर्म रद्दी की नीलामी में भाग नहीं ले सकेगी।
9. बोली राशि में से 25% राशि तुरन्त बोली समाप्ति पर जमा करानी होगी तथा शेष 75% राशि रद्दी उठाने से पूर्व विश्वविद्यालय कोष में जमा करानी होगी।
10. रद्दी को अधिकतम 07 दिवस में परिसर से उठानी होगी। यदि सफल बोलीदाता फर्म/व्यक्ति द्वारा रद्दी को 07 दिवस में विश्वविद्यालय से नहीं उठाया जाता है तो बोली राशि की 25% जमा राशि एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. निविदादाता की बोली स्वीकृत होने के बाद मौके पर बोली की राशि तथा 07 दिवस में सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा करायेगा। अन्यथा बोली की 25% जमा राशि एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में रद्दी उठाना अनिवार्य है अन्यथा 25% जमा राशि एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी तथा द्वितीय बोलीदाता को कार्यादेश दिया जावेगा।
13. रद्दी/अन्य सामान हेतु नियमानुसार जीएसटी सफल बोलीदाता को कुल विक्रय मूल्य पर अपने स्तर से जमा करवाकर चालान की प्रति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने के बाद ही रद्दी सामग्री उठाने दी जावेगी।
14. अमानत राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त की जावेगी।
    (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
    (ख) जब निविदादाता संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने में असफल रहा हो।
    (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
15. रद्दी का नमूना किसी भी कार्य दिवस को विश्वविद्यलाय परिसर में आकर देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय में रद्दी सामग्री के रूप में अखबार, पत्र–पत्रिकाऐं, अनुपयोगी कागज, गत्ते के खाली डिब्बे, अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकाऐं एवं पूरक उत्तर पुस्तिकाऐं तथा अन्य अनुपयोगी रद्दी से सम्बन्धित सामग्री।

16. रद्दी जहाँ है जैसी है के आधार पर रद्दी नीलामी की जावेगी। रद्दी निकालने, भरने का कार्य ठेकेदार (बोलीदाता) स्वयं या अपने मजदूरों से कराएगा। जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा तथा बारदाना स्वयं लेकर आयेगा। रद्दी निकालने/भरते समय/ले जाते समय विश्वविद्यालय परिसर व कक्षों में रखे हुए विश्वविद्यालय फर्नीचर अथवा अन्य कार्यालय सामग्री, सामान इत्यादि का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान/क्षति नहीं हो, इस हेतु सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना होगा अन्यथा नुकसान/क्षति होने पर उसका हर्जाना फर्म को विश्वविद्यालय में जमा करावाना होगा।
17. सफल बोली दाता को रद्दी विश्वविद्यालय परिसर से बाहर ले जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जावेगी।
18. बोली हेतु स्वयं या फर्म के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि द्वारा ही रद्दी की बोली लगाई जा सकेगी।
19. रद्दी उठाने के लिए ट्रक या वाहन विश्वविद्यालय में कार्यालय समय 10:30 बजे से अपरान्ह 04:30 बजे तक ही रद्दी उठानी होगी। अपरान्ह 04:30 बजे पश्चात् अथवा अवकाश दिवस में आपके किसी भी वाहन/प्रतिनिधि को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
20. बोली के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा।
21. ठेकेदार रद्दी को खुले बाजार में नहीं बेचेगा इस आशय का शपथ पत्र लिखित में 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा तथा जहां माल बेचा जायेगा वहाँ का विस्तृत विवरण मय प्रमाण सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. कार्यालय/संबंधित अधिकारी द्वारा बुलाने पर ठेकेदार को कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा तथा आवश्यक उचित/सलाह की पालना करनी होगी।
23. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
24. ठेकेदार संविदा को या उसके सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सब लेट) पर नहीं देगा।
25. विश्वविद्यालय को किसी भी समय पर बोली को स्थगित/निरस्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।
26. बोलीदाता पंजीकृत फर्में अपनी फर्म के लेटर हैड पर प्रस्तुत करेगें।
27. रद्दी विश्वविद्यालय के कमरों से बाहर निकालने के दौरान नीलामीदाता स्वयं या उनके मजदूरों द्वारा पूर्ण सावधानी से कार्य करना होगा। यदि इस दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है तो स्वयं बोलीदाता की जिम्मेदारी होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस सन्दर्भ में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
28. बोलीदाता फर्म/व्यक्ति को नीलामी के पश्चात् परीक्षा रद्दी की सुपुर्दगी की सम्पूर्ण कार्यवाही परीक्षा विभाग की होगी। साथ ही परीक्षा विभाग द्वारा ही उपयोग में ली गई मुख्य उत्तरपुस्तिकाओं एवं पूरक उत्तर पुस्तिकाओं को बोलीदाता फर्म/व्यक्ति के सेवानिष्पादकों से स्वयं की निगरानी में चार भागों में टुकड़े कराकर रद्दी को अपनी निगरानी में बोलीदाता फर्म/व्यक्ति को सुपूर्द करने की समस्त जिम्मेदारी होगी। परीक्षा विभाग की देखरेख में उक्त कार्य सम्पादित करावेगा तथा उक्त समस्त रद्दी को अपनी

निगरानी में बोलीदाता फर्म/व्यक्ति के वाहन का गेटपास जारी करवाकर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करेगा।

29. बोलीदाता फर्म को खाली वाहन का धर्मकांटे पर वजन (धर्मकांटे की दूरी विश्वविद्यालय से 10 किलोमीटर तक होगी) हेतु नियुक्त विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के समक्ष करवाना होगा तथा रद्दी को भरे जाने के पश्चात् भरे हुए रद्दी वाहन का धर्मकांटे पर वजन भी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की देखरेख में पूर्ण करना होगा। खाली गाड़ी एवं सभी भरी गाडीयो का तोल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गये धर्मकांटे पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के सामने किया जावेगा व वजन की पर्ची पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि व निविदादाता अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होगें। विश्वविद्यालय को खाली/भरी गाड़ी वजन के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न होने पर किसी भी धर्मकांटे से वजन का सत्यापन करवाया जा सकता है। जिसका खर्चा भी निविदादाता फर्म का ही होगा।

30. निविदादाता द्वारा उसे अपने स्वयं के बारदाने में अपने खर्चे पर भरवानी होगी। उसके बाद ही गाडी मे रद्दी लोड करवायी जा सकेगी। गाडी का तौल कराते समय बारदाने के वजन की कोई कटौति नहीं कि जावेगा। निविदादाता फर्म अपनी दर अंकित करते समय इसका पूर्ण ध्यान रखें।

31 अलग–अलग प्रकार की रद्दी, (रद्दी की स्वीकृत दर अनुसार) अलग–अलग गाडीयों में भरी जावेगी। उनका तौल भी अलग–अलग कराना होगा।

32 समस्त प्रकार के विवादों में अंतिम फैसला विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति महोदय का होगा।

33 सफल बोलीदाता को वर्तमान में प्रचलित दर से जीएसटी का चालान पृथक से सरकार को जमा करवाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करवाये जाने पर ही रद्दी उठाने दिया जावेगा।

मुझे क्रम संख्या 01 से 33 तक की समस्त शर्तें स्वीकार है तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र में उल्लेखित सभी बात सत्य है, यदि असत्य पाई जाती है तो बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर को देता हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता

फर्म का नाम ....

फर्म का पता ....

मोबाइल नम्बर ....

फर्म की स्थिति अधिकृत व्यक्ति का नाम बोली हेतु ....